

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला
शहडोल (म0प्र0)

क्रमांक/सा.न्याय/डी0डी0आर0सी0/2023/ 494 शहडोल दिनांक 28/08/2023
प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन शाखा)
संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :- रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराने बावत्।

-0-

म0प्र0 शासन सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केन्द्र जिला शहडोल हेतु संविदा आधार पर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।

ना -

(वंदना वैद्य)
कलेक्टर

जिला शहडोल (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक/सा.न्याय/डी0डी0आर0सी0/2023/ 495 शहडोल दिनांक /08/2023
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, सामाजिक न्याय, एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी शहडोल की ओर जिले की वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
3. उपसंचालक जनसंपर्क अधिकारी जिला शहडोल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ कराये जाने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

वे.

कलेक्टर

जिला शहडोल (म0प्र0)

**कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण)
जिला शहडोल (म0प्र0)**

क्रमांक / सा.न्याय / डी0डी0आर0सी0 / 2023 ५९६

शहडोल दिनांक २४/०८/२०२३

विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक 185/2014/26-2 भोपाल दिनांक 04.02.2015 एवं पत्र क्रमांक 2475/13062/23/26-2 भोपाल दिनांक 23.08.2023 द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र एवं स्थायी पुनर्वास तथा सेवाओं के प्रदाय हेतु जिला पुनर्वास केन्द्र हेतु आवश्यक सेटअप पदों की संविदा पद पर एक वर्ष हेतु नियुक्ति के लिये निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण शहडोल को दिनांक 15/09/2023 तक सायं 05:00 बजे तक सील बंद लिफाफों में आवेदन पत्र प्राप्त हो जाना चाहिये। साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 25.09.2023 को किया जावेगा।

रिक्त पदों का विवरण, आवश्यक अर्हता/योग्यता एवं निर्धारित मानदेय निम्नानुसार है:-


क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं	मानदेय प्रतिमाह
1.	क्लीनिकल साइकलोजिस्ट/ पुनर्वास मनोचिकित्सक	01	क्लीनिकल साइकलोजिस्ट क. क्लीनिकल मनोचिकित्सा में एम0फिल0 ख. क्लीनिकल मनोचिकित्सा में व्यावसायिक डिप्लोमा। पुनर्वास मनोचिकित्सक क. पुनर्वास मनोचिकित्सा में एम0फिल0 ख. पुनर्वास मनोचिकित्सा में ग्रेजुएट पोस्ट डिप्लोमा (पीजीडीआरपी)	20,500/-
2.	वरिसठ फिजियोथेरापिस्ट/ ऑक्युमेशनल थेरापिस्ट	01	फिजियोथेरापिस्ट 01 अनिवार्य योग्यता बीपीटी ऑक्युमेशनल थेरापिस्ट 01 अनिवार्य योग्यता बीओटी औचित्य - पीटी और ओटी दोनों पूरी तरह से अलग- अलग विषय है और दोनों की दिव्यांगता पुनर्वास में बहुत महत्वपूर्ण और अलग-अलग भूमिकाएं हैं।	20,500/-
3.	सीनियर प्रोस्थेटिस्ट/ ऑर्थोटिस्ट	01	आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट (बीपीओ) में स्नातक	20,500/-
4.	सीनियर स्पीच थेरापिस्ट/ ऑडियोलॉजिस्ट	01	आडियोलॉजी और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी (बीएसएलपी) में स्नातक या बी. एससी स्पीच एंड हियरिंग	20,500/-
5.	प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट (टेक्नीशियन)	01	पी एंड ओ में डिप्लोमा या 3 साल के अनुभव के साथ पी एंड ओ से प्रमाण पत्र	16,000/-
6.	हियरिंग असिस्टेंट जूनियर स्पीच थेरापिस्ट (ईयर मोल्ड टेक्नीशियन)	01	श्रवण यंत्र की जानकारी/मरम्मत/कर्ण मोल्ड बनाने के साथ वाक् एवं श्रवण में डिप्लोमा स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन पात्रता हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा (डीएचएलएस) ईयर मोल्ड तकनीशियन पात्रता हियरिंग एंड	16,000/-

			रिपेयर और ईयर मोल्ड प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएचएआरईएमटी)	
7.	मोविलिटी इंस्ट्रक्टर	01	दसवी - गतिशीलता में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पात्रता: अधिमानत गतिशीलता विज्ञान में स्नातक (बी.एम.एससी.) या दृष्टि बाधिता में डी.एड विशेष शिक्षा/बी.एड. विशेष शिक्षा	14,500/-
8.	मल्टीपर्पज रिहेब्लिटेशन वर्कर	01	बहु उद्देश्यीय पुनर्वास कार्यकर्ता पात्रता समुदाय आधारित पुनर्वास (पीजीडीसीबीआर) में पोस्ट ग्रेजुएट समुदाय आधारित पुनर्वास (डीसीबीआर) समुदाय आधारित समावेशीय विकास (सीबीआईडी)/एमआरडब्ल्यू में डिप्लोमा	14,500/-
9.	एकाउन्टेन्ट कम क्लर्क कम स्टोर कीपर	01	दो वर्षों के अनुभव सहित (बी0 काम0/एसएस)	14,500/-
10.	अटेनडेंट कम प्यून कम मेसेन्जर	01	8वीं पास	9,500/-
11.	वोकेशनल काउन्सलर कम कंप्यूटर असिस्टेंट	01	व्यावसायिक पुनर्वास डिप्लोमा (डीवीआर)/(बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवास्ड डिप्लोमा एडीसीजीसी)/पुनर्वास विज्ञान में स्नातक	14,500/-
12.	ट्रांस डिसिप्लिनरी स्पेशल एड्युकेटर (एम.आर)	01	दो पदों के लिए पात्रता: (1) श्रवण बाधिता में डीईडीएसई/बीईडीउसई (2) बीआई/आईडी/सीपी/एसडी/डीबी/एसएलडी में डीईडीएसई/बीईएसई	16,000/-
13.	एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर	01	स्नातकोत्तर एवं दिव्यांगता के क्षेत्र 5 वर्ष का अनुभव	18,000/-
14.	चौकीदार		8वीं पास (कलेक्टर दर पर (अकुशल श्रमिक))	8,000/-

नियुक्ति संबंधी शर्तें :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पद पर 01 वर्ष के लिये किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस एवं एक माह का वेतन/मानदेय पर किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। 01 वर्ष पश्चात् सेवाएं संतोषप्रद पाये जाने पर समिति पुनः सेवा में वृद्धि कर सकेगी।
2. आवेदक की आयु 01.01.2023 को 18 वर्ष एवं अधिकतम शासन के नियमानुसार होगी, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को शासन द्वारा प्रदत्त आयु सीमा में छूट दी जावेगी।
3. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार अपनी पूर्ण जानकारी, प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। कम योग्यता वाले आवेदन पत्र एवं शर्तें पूर्ण न होने की स्थिति आवेदन स्वयं ही निरस्त माना जावेगा। विशेष योग्यता वाले पदों में मान्यता प्राप्त संस्था के प्रमाण पत्र/पत्रोपाधि अनिवार्य होगी।
5. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं संबंधी प्रमाण-पत्रों में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
6. आवेदक को आवेदन के साथ अपना पूर्ण पता लिखा हुआ रजिस्टर्ड डाक टिकट सहित लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है, ताकि साक्षात्कार हेतु सूचना प्रेषित की जा सकें साक्षात्कार में उपस्थित होने पर कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

7. चयनित उम्मीदवार को मुख्यालय पर ही रहना होगा चयनित उम्मीदवार को समिति द्वारा निष्पादित अनुबंध संविदा नियमों का पालन करना होगा तथा वारिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करना होगा।
8. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी म0प्र0 सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 प्रभावशील होगा।
9. संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।
10. नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए रद्द कर दी जावेगी।
11. नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
12. नियुक्ति के पश्चात् जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी का फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
13. नियुक्ति की प्रक्रिया- जिला दिव्यांग कल्याण तथा विकास समिति द्वारा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर की जावेगी।
14. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15/09/2023 तक है। उक्त दिनांक तक आवेदन पत्र जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण शहडोल में सायं 05:00 बजे तक स्वयं अथवा डाक से जमा किये जा सकते हैं। दिनांक 15/09/2023 के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में विचार नहीं किया जायेगा।
15. अधिक जानकारी के लिये सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण शहडोल में सम्पर्क किया जा सकता है।


28.8.23
(प्रज्ञा मरावी)
उपसंचालक

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला शहडोल (म0प्र0)